



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 अगस्त, 2020
श्रावण 16, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 841/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(136)-2020
लखनऊ, 7 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प०आ०-191

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2017) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 445/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 एतद्वारा में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती हूँ, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खंड (i) में,-

(i) शब्द, अंक और अक्षर "29 जून, 2020" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "30 अगस्त, 2020" रख दिये जायेंगे;

(ii) शब्द, अंक और अक्षर "30 जून, 2020" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "31 अगस्त, 2020" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 841/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(136)-2020, dated August 7, 2020:

No. 841/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(136)-2020

Dated Lucknow, August 7, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 13 of 2017) and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 14 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. 445/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(118)-2020, dated May 11, 2020, namely :-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i),--

(i) *for* the words, figures and letters "29th day of June, 2020", the words, figures and letters "30th day of August, 2020" shall be *substituted*;

(ii) *for* the words, figures and letters "30th day of June, 2020", the words, figures and letters "31st day of August, 2020" shall be *substituted*.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.